खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0095 / 2017

Ashish Paliwal son of Shri Vishnu Prasad Sharma, Proprietor- M/s. Vishnu Trading Company, Near Marwari Complex, Bus Stand, Pratapgarh.

---Appellant

Versus

1. State of Rajasthan through Commissioner, Food Safety, Swasthaya Bhawan, C-Scheme, Jaipur (Rajasthan).
2. Food Safety Officer, Office of Chief Medical & Health Officer, Pratapgarh.

…Respondents

उपस्थितः–

1. श्री रौनक सिंघवी अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 15.01.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, प्रतापगढ के आदेश दिनांक 05.08.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 13 / 2014 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आशीष में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर 90,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि दिनांक 13. 03.2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रतापगढ ने अपीलार्थी की दुकान से खुला सोयाबीन तेल का सैम्पल वास्ते जांच हेतु लिया जो बाद जांच सब स्टेण्डर्ड पाए जाने पर आवश्यक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर परिवाद न्याय निर्णयन अधिकारी, प्रतापगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट के तथ्यों को स्वीकार किया गया जिस आधार पर अपीलार्थी पर 90,000रूपये (अक्षरे नब्बे हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई।

4. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि समान परिस्थितियों के अन्य प्रकरण सं. 08 / 2014 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम हंसमुख आदेश दिनांक 07.07.2014 में केवल मात्र 10,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है,

जबकि अपीलार्थी पर 90,000रूपये की।

5. प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिया गया कि हर प्रकरण में परिस्थितियां भिन्न होती है, अतः शास्ति के बिन्दु पर समानता की मांग नहीं की जा सकती।

6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

7. **अवधार्य बिन्दु :—**

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, प्रतापगढ ने आलौच्य आदेश दिनांक 05.08.2014 के द्वारा नब्बे हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

8. **विनिश्चयः—** अपीलार्थी के हक में तय किया जाता है।

9. **विनिश्चय के कारणः——**

10. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण सं.08/2014 व प्रकरण संख्या 13/2014 जोकि अपीलार्थी का प्रकरण है, दोनों प्रकरणों के आदेश अक्षरशः एक ही है, अन्तर केवल मात्र शीर्षक में एवं अधिरोपित की गई राशि तथा दिनांक में है, इसके अलावा दोनों प्रकरणों के आदेश में कुछ भी अन्तर नहीं है, न्याय निर्णयन अधिकारी भी समान है तथा आदेश यंत्रवत जारी किये जा रहे है। स्थिति जो भी हो, समान परिस्थितियों में एक ही न्याय निर्णायक अधिकारी को शास्ति आरोपित करने में एकरूपता रखनी चाहिए, यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है।

11. जबकि समान तथ्यों के प्रकरण में भी सोयाबीन का खुला तेल विक्रय किया जा रहा था और उसपर मात्र 10,000 रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की गई है तथा इस प्रकरण में 90,000 रूपये (अक्षरे नब्बे हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित करने में कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। इससे न्याय व्यवस्था पर आम जन का अविश्वास होता है, ऐसा नहीं है कि शास्ति अलग नहीं हो सकती परन्तु समान प्रकरण में यदि अलग शास्ति अधिरोपित की जाती है तो न्याय निर्णायक अधिकारी को इसके तर्कसंगत एवं न्यायसंगत कारण दिए जाने चाहिए।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय निर्णायक अधिकारी के कार्यालय में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जाकर लिपिक द्वारा यंत्रवत कार्य किया जा रहा है और न्याय निर्णायक अधिकारी मात्र हस्ताक्षर करते है। यह स्थिति प्रशंसनीय नहीं है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 13/2014 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आशीष पालीवाल में पारित किया गया कि अपीलार्थी पर जो शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी आशीष पालीवाल पर 90,000रूपये के स्थान पर 10,000रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर